

समस्त संस्था प्रधान एवं
पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ)
राजकीय विद्यालय।

विषय:- कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए इच्छित तृतीय भाषा के चयन बाबत।
प्रसंग:- इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक 20.11.2020.

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 6 से 8 तक के समस्त विद्यार्थियों से इच्छित तृतीय भाषा की जानकारी प्राप्त करने हेतु समस्त राजकीय विद्यालय, जिनमें कक्षा 6 से 8 संचालित है, के लॉगिन में विद्यार्थी टैब के अन्तर्गत "विद्यार्थी की इच्छित तृतीय भाषा का चयन करें" नाम से मॉड्यूल उपलब्ध करवाया गया है। समस्त संस्था प्रधानों एवं पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक : 24.11.2020 तक कक्षा 6 से 8 तक के समस्त विद्यार्थियों की इच्छित तृतीय भाषा का चयन कर सेव किया जाने के संबंध में प्रासंगिक पत्र द्वारा निर्देश जारी किए गए थे।

उक्त "विद्यार्थी की इच्छित तृतीय भाषा का चयन करें" मॉड्यूल की पूर्ति हेतु समयावधि में वृद्धि करते हुए निर्देशित किया जाता है कि दिनांक : 26.11.2020 तक समस्त संस्था प्रधान एवं पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कक्षा 6 से 8 तक के समस्त विद्यार्थियों की इच्छित तृतीय भाषा का चयन कर सेव किया जाना सुनिश्चित करें। उक्त मॉड्यूल में गलत प्रविष्टि कर लॉक हो जाने की स्थिति में संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से अनलॉक करवाकर पुनः सही प्रविष्टि कर सेव करें।

www.rajteachers.com



(सौरभ स्वामी)

आइ.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान-जयपुर।
2. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा एवं अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान शिक्षा परिषद्, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
4. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, राजस्थान।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-माध्यमिक/प्रारम्भिक।
6. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा।
7. तकनीकी निदेशक, एनआईसी, जयपुर।
8. उपनिदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, जयपुर।
9. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
10. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
11. रक्षित पत्रावली।


जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर